

प्रेसनोट दिनांक 19.05.2023

1. दिनांक 18.05.23 को वादी श्री अशोक कुमार मिश्रा पुत्र स्व० संतबक्श नि० गौहानी थाना तरबगंज गोण्डा। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 65 एचटी 6690 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की पत्नी को टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 293/23 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 18.05.23 को वादी उ०नि० श्री चन्द्रशेखर यादव द्वितीय थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि समीर पुत्र मुस्ताक नि० मंगल बाजार थाना को०रुदौली अयोध्या।आदि 04 नफर सभी गिर० अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्ते से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 2510 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 229/23 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।